न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी—श्री यशार्थ शेखर, आई.ए.एस

दिनांक – 08.12.25

मांक रीडर/2025/9547

प्रार्थीनी	बनाम	अप्रार्थीगण
1 सुआदेवी पत्नी ईश्वरलाल जाति मेघवाल निवासी हापों की ढाणी तहसील व जिला बाड़मेर।		1 करना 2 माना 3 रतना पिसरान हरखा 4 संगी पत्नी खीमाराम 5 सांगीया पुत्र भीखा 6 किशनाराम पुत्र डामरराम 7 दरिया पत्नी किशनाराम जाति मेघवाल निवासी हापों की ढाणी तहसील व जिला बाड़मेर 8 ग्राम पंचायत चूली 9 तहसीलदार बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत

राजस्व आवेदन संख्या :– 681/2025 दिनांक– 26/11/25

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा हापो की ढाणी पटवार क्षेत्र चूली तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 346/31 रकबा 0.9712 हैक्टेयर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीनी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/– अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीनी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(यशार्थ शेखर)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

दिनांक– 08.12.25

क्रमांक :– रीडर/2025/9548-51

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :–

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी चूली तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. सुआदेवी पत्नी ईश्वरलाल जाति मेघवाल निवासी हापों की ढाणी तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी करना पुत्र हरखा वगैराह जाति मेघवाल निवासी हापों की ढाणी तहसील व जिला बाड़मेर।

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Yasharth Shekhar
Date: 2025.12.10 10:04:01 IST
Reason: SelfAttested